

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या 59/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956  
अनवान

1. देबी पिता लादु खाती जाति खाती उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान )
2. काशीराम पिता मांगीलाल खाती जाति खाती उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान )
3. देबीलाल पिता काना खाती जाति खाती उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान )

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी
2. भैरूलाल पिता नारायण सुथार उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी
3. रामेश्वर पिता मूलचन्द सुथार उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी
4. कैलाश पिता मूलचन्द सुथार उम्र वयस्क निवासी कोदिया तहसील कोटडी
5. राजस्थान राज्य जरिये भु- धारक तहसीलदार महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
--: आदेश :-

दिनांक 5/04/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 17/01/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम - कोदिया, पटवार हल्का - रीठ, भू.अ.नि.क्षेत्र कोटडी, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्मत 2069 से 72 की खाता सं. 88 व आराजी सं. 681/2 रकबा 11 बिस्वा, आराजी सं. 682 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 702 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी सं. 715 रकबा 17 बिस्वा एवं आराजी संख्या 705 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक कोटडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट माफत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम - कोदिया, पटवार हल्का - रीठ, भू.अ.नि.क्षेत्र कोटडी, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्मत 2069 से 72 की खाता सं. 88 व आराजी सं. 681/2 रकबा 11 बिस्वा, आराजी सं. 682 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 702 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी सं. 715 रकबा 17 बिस्वा एवं आराजी संख्या 705 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी

जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी  
जिला भीलवाड़ा